252 1013-49 / 29-3-2011.

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/1802-II/1013 दिनांक : 29 मार्च, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 1 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 : गत बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी। भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों में राज्य सरकार के नवीनतम परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/ 2010 दिनांक 25 फरवरी, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 2 : विवेक विहार योजना के संबंध में विचार विमर्श।

विवेक विहार योजना पर विस्तृत विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त-दक्षिण एव भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 को प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्रस्तावित विवेक विहार योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गयी जिसका बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 6 (40) नविवि/ 3/ 96 दिनांक 4 फरवरी, 2011 जारी किया गया। कार्यवाही विवरण में प्रदत्त निर्देश कम संख्या 1 से 10 की समुचित पालना सुनिश्चित की जानी हैं। निदेशक-अभियांत्रिकी ने योजना की पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2011 को जयपुर में आयोजित बैठक में कतिपय कमियो को दूर करने के क्रम में दिये गये निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया। आयुक्त महोदय ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को योजना में बने हुए मकानों का मूल्यांकन करवाये जाने के निर्देश दिए। श्री एन.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता इसको समन्वय करेंगे। विवेक विहार योजना के ले-आऊट प्लान को शीघ्र बैठक आयोजित कर अन्तिम रूप दिया जाये। बैठक में विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों की ओर से प्राप्त सुझाव एवं व्यवहारिक कठिनाईयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाने के निर्देश भी दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 3 : विकास कार्यों पर चर्चा।

3-1 (अ) निदेशक-आयोजना ने निम्नांकित कार्यों की संशोधित स्वीकृति/ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निवेदन किया है:-

क्र. सं	कार्य का नाम	पूर्व स्वीकृत राशि (करोड रूपये में)	संशोधित स्वीकृत राशि (करोड रूपये में)
1	भदवासिया-माता का थान-सारण नगर	8.41	12.50
2	सरदारपुरा डी रोड	2.30	3.50
3	राटरी सर्कल 1 से न्यू पावर हाउस	2.90	5.01
4	बासनी आरओबी-पाल रोड -चौपासनी रोड	14.00	33.67

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

5	अणदाराम परिहार स्कूल से डाली बाई मन्दिर होते हुए राजीव गांधी नगर तक	14.00	25.00
6	आखलिया चौराहा से चौपासनी बाई पास तक	14.00	25.00
7	औद्योगिक क्षेत्र बासनी (राजेश मोटर्स) से पुलिस थाना बासनी होते हुये सालावास फाटा बाईपास तक सीवर लाईन का कार्य	0.92	1.055
8	भदवासिया रेल्वे फाटक (सी–7) जोधपुर पर चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य		35.00
9	प्राधिकरण कार्यलिय परिसर में नागरिक सुविधा केन्द्र एवं कार्यालय भवन का विस्तार कार्य	0.50	2.50
10	पावटा से मण्डोर सडक का सौन्दर्यकरण का कार्य	12.66	12.66

आयुक्त महोदय ने उक्त अतिरिक्त स्वीकृतियों के औचित्य का परीक्षण किये जाने के संबंध में सबंधित जोन के उपायुक्त/ अधिशाषी अभियन्ता एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी की समिति गठित किये जाने एवं समिति की रिपोर्ट पश्चात् स्वीकृति दिये जाने के संबंध मे निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये।

3–1 (ब) निम्नांकित कार्यो की नवीन स्वीकृतियां जारी की गई:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (करोड रूपये में)
1	कायलाना घाटी में सडक की चौडाई बढाने का कार्य	1.00
2	(अ) पाल रोड पर मथुरादास माथुर चौराहे से बोरानाडा के मध्य एवं पाली रोड पर रिक्तियां भैरू जी चौराहे से शताब्दी चौराहे के मध्य थर्मोप्लास्टीक पेन्ट द्वारा रोड मार्किंग का कार्य	0.80
	(ब) जोधपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र में विभिन्न महत्वूपर्ण सडकों पर थर्मोप्लास्ट पेन्ट से रोड मार्किंग का कार्य (वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर)	1.37
	(स) जोधपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र में विभिन्न साईन बोर्ड आपूर्ति व फिक्सिंग का कार्य (वार्षिक दर अनुबंध के आधार पर)	0.50
	कुल योग	2.67
3	पाली सडक पर रिक्तियां भैरूजी चौराहे से शताब्दी चौराहे के मध्य शेष विकास कार्य	4.635
4	विवेक विहार योजना में प्रथम चरण के तहत डब्ल्यू बी एम सडक निर्माण कार्य	1.25
5	(अ) विवेक विहार योजना मे द्वितीय चरण के तहत सडक निर्माण कार्य	2.302
	(ब) विवेक विहार योजना में तृतीय चरण के तहत सडक निर्माण कार्य	0.853
	(स) विवेक विहार योजना मे मुटाम लगान का कार्य	0.257

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	कुल योग	3.412
6	वार्ड नम्बर– 61 में माता का थान से भदवासिया तक 80 फीट मैन रोड का निर्माण कार्य	1.00
7	पावटा चौराहा–नैनी बाई मन्दिर–स्टेडियम–कालटेक्स	3.60
8	सम्पर्क सडक के एन मुखर्जी मार्ग–सेनापति सर्कल–सब्जी मण्डी	8.40
9	सरदारपुरा सी रोड	5.60
10	नेहरू पार्क रोड (डीआरएम ऑफिस से गोल बिल्डिंग चौराहा सी रोड)	1.80
11	सरदारपुरा 7 रोड	7.60
12	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्किल–आईटीआई चौराहा–डेयरी–बासनी आरओबी पाल लिंक रोड (प्रथम चरण में रोटरी चौराहा से आई.टी.आई. चौराहा तक)	4.00
13	ईएसआई हॉस्पिटल रोड	6.40
14	कमला नेहरू नगर एवम चान्दना भाकर के मध्य की रोड	8.40
15	बाबा रामदेव रोड मसुरिया के सौन्दर्यकरण एवं ड्रेनेज का कार्य	5.10
16	पाल लिंक रोड के सौन्दर्यकरण एवं ड्रेनेज का कार्य	5.20
17	घडी तिराहा से सालासर हेण्डलूम तक के सौन्दर्यकरण एवं ड्रेनेज का कार्य	4.00
18	साहरण मगर रेल्वे फाटक (सी–165) पर 4 लेन आर ओ बी का निर्माण	75.00
19	आर टी ओ के सामने रेल्वे फाटक (सी–168) पर 4 लेन/2 लेन आर ओ टी का निर्माण	46.00
20	पावटा बी रोड (सी–2) पर 4 लेन अण्डर–पास का निर्माण कार्य	15.00
21	खतरनाक पुलिया 1 (बी–1) पर 4 लेन अण्डर–पास का निर्माण कार्य	10.00
22	भाहर की निम्नांकित सडकों पर रिनुअल का कार्य :– 1. ताराचन्द सर्किल से खासबाग तक 2. महेन्द्रनाथ अरोडा चौराहे से रातानाडा बाजार चौराहा 3. सेनापति भवन से ग्रीन गेट चौराहा 4. पांच बत्ती चौराहा से डिफेन्स लेब चौराहा 5. जेडीए सर्किल से रातानाडा बाजार चौराहा 6. भाटी चौराहा से सब्जी मण्डी चौराहा 7. भास्कर चौराहा से शिव मन्दिर रोड 8. प्रथम पुलिया चौपासनी रोड से सालावास हेण्डलुम होते हुए अणदाराम स्कूल तक 9. सरदारपुरा बी रोड 10. मेडिकल कॉलेज से दल्लेखां की चक्की तक 11. पावटा सी रोड से आरटीओ ऑफिस होते हुए जयपुर रोड तक	7.00

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार जारी नवीन स्वीकृतियों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

3 (2) निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् जारी किये गये कार्यादेशों का अनुमोदन :–

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

255

(ब) नवीन निर्माण कार्य		अनुमानित लागत (करोड़ रू. में)
1.	कायलाना घाटी में सडक की चौडाई बढाने का कार्य	1.00
2.	प्राधिकरण कार्यालय परिसर में नागरिक सुविधा केन्द्र एवं कार्यालय भवन का विस्तार कार्य।	4.53
3.	भदवासिया रेल्वे फाटक (सी–7) जोधपुर पर चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य	35.00
4.	(अ) पाल रोड पर मथुरादास माथुर चौराहे से बोरानाडा के मध्य एवं पाली रोड़ पर रिक्तियाँ भैरू जी चौराहे से शताब्दी चौराहे के मध्य थर्मोप्लास्टीक पेन्ट द्वारा रोड़ मार्किंग का कार्य	0.80
	(ब) जोधपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों पर थर्मोप्लास्ट पेन्ट से रोड़ मार्किंग का कार्य। (वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर)	1.37
	(स) जोधपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र में विभिन्न साईन बोर्ड आपूर्ति व फिक्सिंग का कार्य। (वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर)	0.50
	योग	2.67
5.	पाली सड़क पर रिक्तियां भैरूजी चौराहे से शताब्दी चौराहे के मध्य शेष विकास कार्य।	4.635
6.	विवेक विहार योजना में प्रथम चरण के तहत डब्ल्यू बी एम सड़क निर्माण कार्य।	1.25
7.	(अ) विवेक विहार योजना में द्वितीय चरण के तहत सड़क निर्माण कार्य।	2.302
	(ब) विवेक विहार योजना में तृतीय चरण के तहत सड़क निर्माण कार्य।	0.853
	(स) विवेक विहार योजना में मुटाम निर्माण कार्य।	0.257
	योग	3.412
8.	पावटा से मण्डोर सडक का सौन्दर्यकरण का कार्य	12.66
9.	वार्ड नं.– 61 में माता का थान से भदवासिया तक 80 फीट मेन रोड का निर्माण कार्य।	1.00

बाद विचार विमर्श जारी कार्यादेशों की पुष्टि की गई।

3 (3) निदेशक–अभियांत्रिक ने प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निम्नलिखित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने अनुशंषा की–

1.	पावटा चौराहा–मैनी बाई मन्दिर– स्टेडियम –कालटेक्स	3.60
2	सम्पर्क सडक के एन मुखर्जी मार्ग–सेनापति सर्कल – सब्जी मण्डी	8.40
3.	सरदारपुरा सी रोड	5.60
4.	नेहरू पार्क रोड (डीआरएम ऑफिस से गोल बिल्डिंग चौराहा से	1.80

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

256

	रोड़)	
5.	सरदारपुरा 7 रोड़	7.60
6.	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्किल–आईटीआई चौराहा –डेयरी– बासनी आरओबी पाल लिंक रोड (प्रथम चरण में रोटरी चौराहा से आई.टी.आई. चौराहा तक)	4.00
7.	ईएसआई हॉस्पिटल रोड़	6.40
8.	कमला नेहरू नगर एवम चान्दना भाकर के मध्य की रोड़	8.40

बैठक में बाद विचार विमर्श उक्त नवीन कार्यों की स्वीकृति/पुष्टि प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि भविष्य में राशि रूपये 5.00 लाख से अधिक का कोई कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो उन कार्यों के औचित्य बाबत संबंधित उपायुक्त की टिप्पणी भी पत्रावली पर अंकित करवायी जावे।

3(4) संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि :–

संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रकरण निम्नानुसार है:–

कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
1. गोलनाड़ी उम्मेद चौक में भ्रमण पट्टिका एवं पार्क का विकास कार्य।	27.60	10.50	38.10	गोलनाडी उम्मेद चौक भ्रमण पट्टिका एवं पार्क का विकास कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय पार्षद एवं नागरिकों द्वारा नाडी की दीवारें, साईड की रिटेनिंग दीवार इत्यादि को सुरक्षित करने तथा गेट का निर्माण करने की मॉंग की है। जिसकी स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था।
2. राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर, जोधपुर में मल्टी गेम सिंथेटिक कोट का निर्माण कार्य।	18.00	12.00	30.00	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, परिसर, जोधपुर में मल्टी गेम सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण कार्य हेतु तकमीना बनाया गया था। तकमीने के एक मद में टंकण त्रुटि हो जाने से लागत कम हो गई थी तथा महाविद्यालय के प्रशिक्षक द्वारा इस प्रस्तावित सिंथेटिक कोर्ट में अतिरिक्त

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

257

				सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की उसी के अनुरूप संशोधित तकमीना राशि रूपये 30.00 लाख का बनाया गया है। जिसकी संशोधित स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
3. शान्तिनाथ नगर ग्राम गेवा खसरा नं. 771 से 775 तक सूरसागर रोड़ में सी.सी. सड़क का कार्य ।	11.36	21.64	33.00	उक्त कार्य सम्पादन के दौरान वहा के निवासियों व जन प्रतिनिधियों की मांग को मध्य नजर रखते हुए अन्य गलियों में भी सी.सी. सडक का कार्य करवाया गया।
4. दक्षिण जोन में पेच मरम्मत कार्य (वार्षिक दर अनुबन्ध)	25.00	9.68	34.68	गत वर्षा ऋतु के पश्चात् लगातार हो रही बारिश के कारण अधिक पेच रिपेयर कार्य करवाना पड़ा। जिसकी स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था।
5. संबल भगवान महावीर विकलांग सहायक समिति महिला प्रकोष्ठ हाथीराम का औड़ा में विकलांग नेत्रहीन विद्यार्थीयों एवं महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु एक हॉल निर्माण कार्य	2.20	2.50	4.70	अतिरिक्त कार्य बाथरूम एवं टॉयलेट, सीढियां इत्यादि का कार्य एव कार्यादेश में देरी सशोधित वित्तीय स्वीकृति के कारण हुई। कार्यकारी समिति मे अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था।
6. पी डब्लू डी कॉलोनी में स्थित जे.डी.ए. हाऊस मे पानी की टंकी बनाने का कार्य	0.75	1.79	2.54	पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी में स्थित जे.डी.ए. हाऊस में पानी की टंकी बनाने के कार्य की मूल स्वीकृति 0.75 लाख थी। कार्य की आवश्यकता अनुसार कार्यालय भवन मे भी पानी का टैंक तथा अन्य मरम्मत कार्य इसके साथ करवाये गये है।
7. तन्हापीर	20.00	15.00	35.00	उक्त कार्य सम्पादन के

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

258

दरगाह के पास पार्किंग स्थल हेतु डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य				दौरान वहां के गणमान्य जन प्रतिनिधियों की मांग को मध्य नजर रखते हुए पार्किंग स्थल करवायें जाना आवश्यक है।
8. आखलिया चौराहे से बोम्बे मोटर्स चौराहे तक पार्किंग, फुटपाथ, नाला रखरखाव एवं नाला कवरिंग का कार्य।	50.00	19.00	69.00	यह कार्य मौके पर प्रगति पर है। परन्तु बोम्बे मोटर्स चौराहे पेट्रोल पम्प के पास नाला खुला होने से लोगों ने नाला कवरिंग करने हेतु रास्ता जाम किया था। इस पर आयुक्त नगर निगम एवं जेडीए अधिकारियों ने इस कार्य के साथ ही उक्त कार्य करवाने का निर्णय लिया।

यह निर्देश दिये गये है कि इस प्रकरण के समस्त प्रकरणों में संशोधित स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पडी इसे सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता, सम्बन्धित उपायुक्त एवं सम्बन्धित अधिशाषी अभियता, की समिति प्रत्येक प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी एवं तदोपरान्त इस पर उचित निर्णय लिया जावेगा। चर्चा के दौरान यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में 20 प्रतिशत से अधिक कार्य कार्यकारी समिति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कराये जावें।

3 – (5) जोधपुर विकास प्राधिकरण में 1.5 करोड से अधिक राशि के कार्यो की निविदा हेतु मानक निविदा प्रपत्र अनुमोदन बाबत् :–

यह निर्देश दिये गये कि निदेशक अभियांत्रिकी, सचिव, निदेशक वित्त की समिति प्रस्तावित मानक निविदा प्रपत्र का अध्ययन करेगी एवं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तदनुसार ही प्रपत्र के अनुमोदन पर निर्णय लिया जायेगा।

3 – (6) भदवासिया रेल्वे क्रासिंग पर निर्माण हेतु निविदा प्रपत्र अनुमोदन बाबत् :– इस विषय पर निर्णय पैरा 3 – (5) के अनुरूप ही किया जावे।

3 – (7) जोधपुर विकास प्राधिकरण योजना द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य :–

निदेशक–अभियांत्रिक ने अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु, विशेषज्ञ फर्मो से परामर्श का कार्य करवाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदाए आमंत्रित की गई है।. इस प्रकार की निविदाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया वर्तमान शेड्युल ऑफ पॉवर में स्पष्ट नहीं है। अतः इस प्रकार की निविदाओं की प्रक्रिया को सरलीकरण करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया प्रस्तावित की जा रही है।

II 3

अ– निविदा नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमाक प.13(8)नविवि/1/09 दिनांक 31.01.2011 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तैयार किये जायें।

ब– निविदा की तकनीकी बिड को खोलने के लिये अधिशाषी अभियन्ता सक्षम होगे।

स– निविदा की तकनीकी बिड का मुल्याकन अधिशाषी अभियन्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अधिक्षण अभियन्ता की समिति सक्षम होगी।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

255

द– निविदा की तकनीकी बिड में सफल निविदाओं की वित्तीय को खोलने के लिये अधिशाषी अभियन्ता सक्षम होंगे।

य– निविदा की वित्तीय बिड को तृतीय स्तर पर मुल्यांकन कर निविदा की दर अनुमोदन करने के लिये निदेशक अभियान्त्रिकी सक्षम होंगे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार दर्शायी गई प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। भविष्य में SOP के अन्दर इसका समावेश किया जावेगा।

3 – (8) परामर्शी कार्य के लिये आमंत्रित निविदाओं का अनुमोदन:–

कार्यकारी समिति ने आमंत्रित निविदाओं का अवलोकन किया एवं इन निविदाओं की स्वीकृति हेतु निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित्त एवं अधीक्षण अभियंता की समिति को अधिकृत किया।

3 – (विविध) उपरोक्त स्वीकृत सडकों के कार्य सम्बन्धित विभाग से सडक का हस्तान्तरण कराने के पश्चात् की प्रारम्भ की जावें। प्राधिकरण भवन के बारे में निर्देश दिये गये कि मूल भावना यह है कि वर्तमान स्थान के बाहर अर्थात् अन्य स्थान पर प्राधिकरण का नवीन भवन बनाया जाना है, लेकिन अन्य व्यवस्था तक वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पुर्नमूल्याकन कर अतिरिक्त स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो को राशि रूपये 2.50 करोड़ तक की सीमा में लाया जाये जिसमें नागरिक सुविधा केन्द्र एवं मीटिंग हॉल भी बनाया जा सके। आर.ओ.बी. निर्माण हेतु भूमि संबंधी कठिनाईयों के बारे में मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास की अध्यक्षता में एक बैठक विभिन्न विभागों यथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय रेल एवं रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के साथ आयोजित करायी जाये उसके लिए अन्य बिन्दुओं की आवश्यकता हो तो उन्हे भी एजेण्डा में सम्मिलित किया जावे।

प्रस्ताव सख्या 4 :: अधिकारियों/ कर्मचारियों को दूरभाष (मोबाईल सिम) की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार अध्यक्ष महोदय एव आयुक्त महोदय को असीमित सुविधा उपलब्ध कराते हुवे प्राधिकरण के निम्न अधिकारियों को भी इस श्रेणी में रखा गया है :–

1. सचिव
2. मुख्य अभियन्ता
3. सभी उपायुक्त
4. सभी निदेशक
5. अधिशाषी अभियन्ता
6. उप नगर नियोजक
7. लेखाधिकारी

असीमित सुविधा के अतिरिक्त 50 प्रतिशत राशि तक के लिए निम्न अधिकारी अधिकृत किये गये है :–

1. समस्त सहायक अभियन्ता
2. तहसीलदार
3. उप विधि परामर्शी/ सहायक विधि परामर्शी

उक्त बैठक के पश्चात निम्न नये पद स्वीकृत हुऐ है :–

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

260

1. अधीक्षण अभियन्ता
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी
3. सहायक लेखाधिकारी

प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों यथा कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार, पटवारी, निजी सहायक, रोकड पाल, भण्डार पाल, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (ए.पी.आर.ओ.) को भी सिम जारी की हुई थी, ये कर्मचारी अधिकृत नहीं होने के कारण इनकी सिम Withdraw कर दी गई है। इन कर्मचारियों से सिम Withdraw की गई है, उन्हे मोबाईल सिम दी जावे या नहीं इस संबध में नीतिगत निर्णय लिया जाना है।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सचिव, सभी उपायुक्त, सभी निदेशक को प्रथम श्रेणी में रखा जावे एवं अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, उप नगर नियोजक, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, उप विधि परामर्शी को द्वितीय श्रेणी मे रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 : पाली–पाल रोड़ सीमा से हटाये निर्माणों के मुआवजा के सबंध मे विचार विमर्श।

पाल पाली रोड दोनों ही घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 व 65 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री महेन्द्र लोढा बनाम सरकार जनहित याचिका संख्या 6073/1993 में दिनांक 19 फरवरी, 2007 को निर्देश जारी किये कि पाल रोड़ की चौडाई 200 फीट की जाए। इसके संबंध में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को एक बैठक रखी गयी। आवंटन समिति की बैठक ने सभी प्रभावितों को सुनकर मुआवजा देने के संबंध में निर्णय किया गया तथा इस हेतु सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर को अधिकृत किया गया। नियमानुसार आवटन समिति का यह निर्णय विधि विरूद्ध है क्योंकि अब तक मौके की जांच नहीं की गयी थी क्योंकि मौका जांच में अधिकतर निर्माण व कब्जे अवैध व नियम विरूद्ध पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावितों को मुआवजा देने का निर्णय पूर्णतः विधि विरुद्ध है। इसके पश्चात् सचिव न्यास के द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2008 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग के निवेदन अनुसार उक्त सडकों के मध्य से 75 फीट तक के अतिकमण प्रथम चरण में हटाने हेतु निर्णय लिया गया लेकिन पाली रोड के अतिकमणों बाबत जनहित को ध्यान में रखते भैरूजी चौराहे से पीली टंकी तक 120 फीट चौड़ी सडक मानते हुए अतिकमण हटाये गये। यह अतिकमण मास्टर प्लान 1971 व 2001 के अनुसार उक्त सडकों को आरटेरियल रोड़ मानते हुए हटाये गये थे क्योंकि इण्डियन रोड़ काँग्रेस के प्रावधान अनुसार स्थानीय निकाय को शहरी क्षेत्र में स्थित आरटेरियल रोड़ों की मध्य से 50 – 60 मीटर चौडाई होना आवश्यक है। उपरोक्त रोड़ों को चौडी करने से पूर्व भूमि अवाप्ति अधिकारी व सक्षम अधिकारी द्वारा सभी को नोटिस जारी किये गये थे तथा आम सूचना भी स्थानीय समाचार–पत्रो मे भी जारी की गई थी। इसके पश्चात् ही अतिकमण हटाये गये। अतिकमण हटाये जाने पर पाल रोड के 209 व्यक्तियों द्वारा व पाली रोड़ के 36 व्यक्तियो द्वारा मुआवजे हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किये गये जिसकी जांच करवायी गयी। इनमें मुख्यतः निम्न प्रकार के प्रकरण पाये गये:-

1– मौका रिपोर्ट अनुसार अतिकमण नही हटाया/मौका स्थिति भिन्न है या सरकारी भूमि पर कब्जा। इस प्रकार के कुल 16 प्रकरण प्राप्त हुए है।

2– न्यास द्वारा जारी किये गये 16 राजस्व गाव नियमन के पट्टे व अन्य पट्टे। इस प्रकार के कुल 20 प्रकरण प्राप्त हुए है।

I 3

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

261

3– पंचायत द्वारा खातेदारी भूमि में जारी किये गये पट्टे। इस प्रकार के कुल 8 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

4– पचायत व भूमि रुपान्तरण अधिकारी द्वारा सड़क सीमा का ध्यान नहीं रखते हुए जारी किये गये पट्टे। इस प्रकार के कुल 33 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

5– रीको द्वारा शिल्पग्राम योजना के तहत जारी किये गये भूखण्ड पट्टाधारी। इसप्रकार के कुल 54 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमे से 22 भूखण्डधारियों को 11,63,365/– रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

6– ग्राम पंचायत पाल द्वारा गैर मुमकिन आगौर की भूमि पर जारी पट्टे। इस प्रकार के कुल 22 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

7– कृषि भूमि पर बनाये गये निर्माण व अन्य प्रकार से उपयोग में ली जा रही कृषि भूमि से संबंधित कुल 49 प्रकरण प्राप्त हुए हैं।

8– इसके अतिरिक्त कुल 21 प्रकरण ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके दस्तावेज संलग्न नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरणों का प्रकार वर्तमान मे नहीं बताया जा सकता है।

उपरोक्त सभी प्रकरणों का सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा समय समय पर अवलोकन किया गया तथा मुआवजा संबंधी आ रही कठिनाइयों के संबध में सरकार को दिनांक 7 जनवरी, 2009 व 23 जनवरी, 2010 के पत्रों द्वारा प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन चाहा गया। प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा दिनाक 25 मई, 2010 को मुआवजा निर्धारण करने हेतु पत्र भिजवाया गया है। जिस पर गठित समिति द्वारा मुख्यतः निम्न दो बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया:–

1– क्या नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा मुआवजा दिया जाना उचित है? या नहीं? यदि हां तो किसके द्वारा मुआवजा दिया जाना उचित हैं:–

इस सबंध मे निवेदन है कि उपरोक्त दोनों सड़के राष्ट्रीय राजमार्ग से सबंधित है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की है। अतः मुआवजा न्यास के द्वारा नहीं दिया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जाना उचित है।

2– किस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा दिया जाना पूर्ण रूप से उचित नहीं हैः–

गैर मुमकिन आगौर, शिल्पग्राम योजना, 16 राजस्व गाव नियमन, पंचायत व भूमि रुपान्तरण अधिकारी द्वारा बिना सड़क सीमा ध्यान रखे दिये गयें पट्टे के संबध मे मुआवजा सरकार के स्तर से प्रथम दृष्टया नहीं दिया जा सकता है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पृथक से पत्रावली पर प्रस्तुत कर आगामी प्राधिकरण की बैठक मे निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

262

क्रमांक / बैठक / 2011 / 1802-II / 1013-49 दिनांक 29 मार्च 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलक्टर जोधपुर।
3. निजी सचिव अध्यक्ष / आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर।
7. मुख्य महाप्रबंधक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
8. प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
9. निदेशक अभियांत्रिकी / वित्त / विधि / आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. उपायुक्त, पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
13. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1013-49
263 29/3/2011

परिशिष्ट–अ

दिनांक 1 मार्च, 2011 को श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री जुगलकिशोर मीना, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री एम.एम. फुलवारिया, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक–आयोजना, जोपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री सी.के. बाफना, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री हनुमानदास सोनी, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्रीमती अजरा, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री मगनलाल योगी, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री पी.डी. पुरोहित, चीफ मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. श्री जीवन खान, उप अधीक्षक यातायात–पश्चिम, पुलिस, जोधपुर
12. श्री महेन्द्र सांखला, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. श्री वी.के. जैन, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
14. श्री एन.एस. पंवार, आर.वी.पी.एन.एल., जोधपुर
15. श्री ताराचन्द मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor